

इटावा पुलिस द्वारा उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 23 लाख रुपये की संपत्ति की गयी जब्त ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त के वाहन (कुल कीमत 23 लाख रुपये) की कुर्की की गयी ।

संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल द्वारा गिरोह बनाकर कॉलेज खोलकर लोगों को फर्जी तरीके से दाखिला देकर लोगो से रुपये हडपने का समाज विरोधी कार्य कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 197 /2020 धारा 2/3 यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

उपरोक्त पंजीकृत किये गये अभियोग में नामित अभियुक्त रजत त्रिपाठी पुत्र वेदप्रकाश त्रिपाठी पुत्र निवासी परमधाम पृथ्वीपुरा थाना इकदिल जनपद इटावा को थाना इकदिल पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । विवेचना के दौरान जानकारी हुई कि अभियुक्त द्वारा अवैध तरीके से वाहनो की काफी चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसको कुर्क करने हेतु प्रभारी निरीक्षक इकदिल द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की स्वीकृति हेतु आख्या जिलाधिकारी इटावा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी इटावा द्वारा अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की हेतु दिनांक 05.11.2020 को आदेश निर्गत किये गये थे। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.11.2020 को थाना इकदिल पुलिस अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके एवं अवैध रूप अर्जित संपत्ति जब्तीकरण किया गया ।

जब्ती का विवरण-

1. 02 कार यूपी 75 वाई 3635 व यूपी 75 वाई 8515
2. 01 मोटरसाइकिल यूपी 75 वाई 0719

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 141/19 धारा 406,420 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 300/17 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा ।
3. मु0अ0सं0 197/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना इकदिल जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- श्री मदन गोपाल गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल मय पुलिस टीम।

मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा।

